उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

आदेश

क्रमांक B / 8801 जबलपुर, दिनांक 19.12.2025
(तीन–18–180–75)

(1) निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में उल्लिखित तृतीय श्रेणी कर्मचारी का अंतर जिला स्थानांतरण संबंधी **पुनर्विचार अभ्यावेदन** स्वीकार करते हुए उनके **स्वयं के व्यय पर** स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शायी गयी न्यायिक जिला स्थापना से, स्तम्भ क्रमांक (4) में दर्शायी गयी न्यायिक जिला स्थापना पर, उसी हैसियत से स्थानांतरित किया जाता है।

स्थानान्तरित कर्मचारी की वरिष्ठता नवीन पदस्थापना पर उनके प्रवर्ग की पदक्रम सूची में अंतिम क्रम पर रखी जावेगी।

क्रमांक	**नाम एवं पदनाम**	**कहाँ से**	**कहाँ को**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
1.	श्री मानवेन्द्र सिंह ठाकुर, सहायक ग्रेड–3	नर्मदापुरम	भोपाल

(2) सुश्री रूबी जैन, सहायक ग्रेड–3, इन्दौर से शिवपुरी/ग्वालियर अंतर जिला स्थानांतरण संबंधी **पुनर्विचार अभ्यावेदन** विचारोपरांत **निरस्त** किया जाता है।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय
के आदेशानुसार

19/12/25

(मुकेश रावत)
रजिस्ट्रार (जिला स्थापना)

पृ. क्रमांक B / 8802 जबलपुर, दिनांक 19/12/2025
(तीन–18–180–75)

प्रतिलिपिः–

1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया आपकी स्थापना से स्थानांतरित कर्मचारी को

उक्त आदेश की प्रति प्रदान कर स्थापना से इस प्रकार भारमुक्त कर निर्देशित करें कि संबंधित कर्मचारी नवीन पदस्थापना के स्थान पर **दिनांक 05/01/2026 (सोमवार)** तक कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कर्मचारी को भारमुक्त किये जाने/कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण किये जाने पर, रजिस्ट्री को सूचना भिजवाया जाना आवश्यक नहीं है। **निर्धारित तिथि तक, कर्मचारी के भारमुक्त नहीं होने/भारमुक्त नहीं किये जाने/कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किये जाने की दशा में, प्रतिवेदन रजिस्ट्री को तत्काल प्रेषित किया जावे।**

2. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर अनुरोध है कि कंडिका क्रमांक (2) में उल्लिखित संबंधित कर्मचारी को उनके स्थानांतरण संबंधी पुनर्विचार अभ्यावेदन **निरस्त** होने की सूचना देने का कष्ट करें।

3. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

4. प्रशासनिक अधिकारी, जिला स्थापना अनुभाग, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

Rawat 19/12/25

(मुकेश रावत)
रजिस्ट्रार (जिला स्थापना)